संख्या– /33–1–2025

प्रेषक,

राजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।

2– आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–1

लखनऊ : दिनाँक : 03 नवम्बर अक्टूबर, 2025

विषयः प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाईन अटेण्डेन्स सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–I/211204/2025, दिनांक 17.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंचायत सहायक/अकाउण्टेन्ट कम–डाटा–इण्ट्री ऑपरेटर की भांति ग्राम पंचायत सचिवों के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक/ऑनलाईन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी का ऑनलाईन उपस्थिति सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुरोध है कि उक्त आदेश का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर कराये जाने के संबंध में कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajesh Kumar Tyagi
Date: 31-10-2025
17:58:11

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अनुमोदन दिनांक 09.10.2025 के कम में सूचनार्थ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।
7. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
ASHOK KUMAR RAM
Date: 31-10-2025
18:31:39

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।